**संख्या- 52/2018/1826/33-3-2018-51/2018**

**प्रेषक,**

**राजेन्द्र कुमार तिवारी**
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

**सेवा में,**

1-**निदेशक,**
पंचायतीराज, उ0प्र0।

2-**समस्त जिलाधिकारी**
उत्तर प्रदेश।

**पंचायतीराज अनुभाग-3** **लखनऊ दिनांक- 18 जून, 2018**

**विशय:-बेसिक शिक्षा विद्यालयों में सौर ऊर्जा के माध्यम से पंखे, लाइट तथा कम्प्यूटर संचालन की व्यवस्था किये जाने एवं चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की धनराशि से विद्युतीकृत विद्यालयों के विद्युत बिलों के भुगतान के सम्बन्ध में।**

**महोदय,**

विभिन्न सरकारी विभागों में विद्युत देयों का समय से भुगतान न होने तथा बड़ी मात्रा में लम्बित भुगतान के कारण विद्युत उत्पादन कम्पनियों को मांग के सापेक्ष विद्युत आपूर्ति करने में कठिनाई होती है। इसके दृष्टिगत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित विद्युतीकृत परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के विद्युत देयों का भी भुगतान करना आवश्यक है। प्रदेश के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रकाश, गर्मी के दिनों में पंखों एवं आधुनिक शिक्षा हेतु अपरिहार्य कम्प्यूटर संचालन की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण अविद्युतीकृत विद्यालयों को सौर-ऊर्जा से भी संचालित किए जाने की आवश्यकता है। उक्त के आलोक में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि:-

1- जिला पंचायत राज अधिकारी के माध्यम से संलग्न प्रारूप पर विद्यालयों का सर्वे कराकर अविद्युतीकृत विद्यालयों की संख्या निर्धारित की जायेगी। इस हेतु मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में जिला पंचायतराज अधिकारी व जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की एक समिति गठित की जाये, जिसके द्वारा विकास खण्ड स्तर पर सहायक विकास अधिकारी(पं0) व सहायक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के संयुक्त पर्यवेक्षण में सर्वे कराकर अविद्युतीकृत परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों व उच्च प्राथमिक विद्यालयों की सूची व संख्या निर्धारित की जायेगी। ऐसे विद्यालय जिन्हें सुगमतापूर्वक विद्युतीकृत किया जा सकता है उन्हें विद्युत संयोजन के माध्यम से विद्युतीकृत किया जाये एवं जिन विद्यालयों को विद्युत संयोजन के माध्यम से विद्युतीकृत किया जाना सम्भव नहीं है या अधिक व्यय भार आने की सम्भावना है उन्हें सौर ऊर्जा के माध्यम से विद्युतीकृत किया जाये।

http://shasnadeshup.nic.in

2- ग्राम पंचायतों द्वारा अविद्युतीकृत परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सोलर पैनल संयंत्र स्थापना हेतु चतुर्थ राज्य वित्त आयोग के मार्ग निर्देशों के अनुरूप ग्राम सभा के प्रस्तावनुसार ग्राम पंचायत विकास योजना में वार्षिक लक्ष्य नियत करते हुये इस कार्य हेतु नियमानुसार धनराशि मात्राकृत की जाये।

3- ग्राम पंचायतों द्वारा सोलर लाइट हेतु स्त्रोत अर्थात 600 वाट के सोलर पैनल व लीथियम बैटरी (25 एम्पियर) क्रय हेतु मात्र चतुर्थ राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली धनराशि का उपयोग किया जा सकता है। उक्त के अतिरिक्त विद्यालय संचालन से सम्बन्धित अन्य किसी आवर्ती/ अनावर्ती व्यय यथा विद्युत उपकरणों या पठन पाठन से सम्बन्धित अन्य उपकरणों के खरीद/रख-रखाव में होने वाले व्यय का भार बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा वहन किया जायेगा।

4- विद्यालयों में स्थापित सोलर ऊर्जा स्त्रोत की सुरक्षा का उत्तरदायित्व बेसिक शिक्षा विभाग का होगा।

5- चतुर्थ राज्य वित्त आयोग के मार्गनिर्देशों के अनुसार ग्राम पंचायतों को हस्तान्तरित 50 प्रतिशत धनराशि का उपयोग ग्राम पंचायतों की पूर्व सृजित सम्पत्तियों के समुचित रखरखाव में किया जा सकता है। परिषदीय विद्यालय, सामुदायिक सम्पत्ति है अत: ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विद्युत बिलों की देयता का भुगतान ग्राम पंचायत के ग्रामनिधि में उपलब्ध चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की मद से इस प्रतिबन्ध के साथ किया जा सकता है कि इन विद्यालयों में विद्युत का उपयोग विद्यालय के संचालन की अवधि में ही किया जा रहा हो एवं इस आशय का प्रमाण-पत्र भी प्रधानाध्यापक द्वारा प्रति माह विद्युत बिल के साथ ग्राम पंचायत को प्रस्तुत कर दिया जाय। उपरोक्तानुसार विद्युत उपभोग करने की दशा में हर माह का वास्तविक विद्युत बिल जो दिनांक: 01.04.2018 से देय है, का भुगतान ग्राम पंचायतों द्वारा किया जाये। उक्त कार्य हेतु भुगतान स्वरूप धनराशि का अनुमानित आकलन कर ग्राम पंचायतें वार्षिक कार्ययोजना में सम्मिलित करते हुये ग्राम सभा से अनुमोदन प्राप्त कर ग्राम पंचायत विकास योजना के अनुसार कार्यवाही करेंगी।

अतएव उक्त बिन्दुओं के परिपालन में चतुर्थ राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत जारी दिशा-निर्देश/शासनादेशों में निहित प्राविधानों व वित्तीय नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुये कार्यवाही की जाये।

**<u>संलग्नक-यथोक्त।</u>**

भवदीय,

**(राजेन्द्र कुमार तिवारी)**

अपर मुख्य सचिव।

http://shasnadesh.up.nic.in

**संख्या व दिनांक:-  तदैव।**

**प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु पे्रशित**

1-प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन।

2- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, ऊर्जा विभाग, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग एवं ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।

3- समस्त मण्डलायुक्त उ0प्र0।

4-समस्त मुख्य विकास अधिकारी उ0प्र0।

5-विशेष सचिव एवं स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

6- समस्त मण्डलीय उपनिदेशक (पं0) उ0प्र0।

7-प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ।

8-निदेशक, उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (नेडा) लखनऊ।

9-समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी उ0प्र0।

10-गार्ड फाइल।

आज्ञा से

**(प्रवीण कुमार लक्षकार)**

विशेष सचिव।

http://shasnadeshup.nic.in

**ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित अविद्युतीकृत प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों के स्थलीय सर्वे हेतु प्रारूप**

| क्र0 सं0 | जनपद का नाम | विकास खण्डों की संख्या | ग्राम पंचायतों की संख्या | अविद्युतीकृत विद्यालयों की कुल संख्या | विद्यालयों की संख्या जिन्हें विद्युत संयोजन के माध्यम से विद्युतीकृत किया जाना है। | विद्यालयों की संख्या जिन्हें सौर ऊर्जा के माध्यम से विद्युतीकृत किया जाना है। |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |

http://shasnadeshup.nic.in